न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–XII, सासाराम, रोहतास।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–584 / 2026

उत्पन्न–डिहरी (नगर) थाना काण्ड सं0–698 / 2024

1. जितू कुमार, उम्र लगभग–36 वर्ष, पिता–श्री उमेश पासवान

निवासी–ग्राम–बारह पत्थर वार्ड संख्या–32, थाना–डिहरी(नगर) जिला–रोहतास। .....**आवेदक**

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी

आ दे श

13.04.2026 उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक जितू कुमार के द्वारा डिहरी(नगर) थाना काण्ड सं0–698 / 2024 अंतर्गत धारा–126(2),115(2),117(2),117(3),117(4),74,352,351(2),3(5) बी0एन0एस0 में गिरफ्तारी के भय से बचने के लिये दाखिल किया गया है। आवेदन, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री क्षितिज कुमार एवं बिहार सरकार के तरफ से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्रीकांत सिंह को अग्रिम जमानत आवेदन पर सुना ।

सूचिका सुनिता देवी के लिखित आवेदन का संक्षिप्त कथन यह है कि दिनांक 26.10.2024 समय 3:00 बजे शाम को सूचिका अपने घर में दिपावली को लेकर साफ सफाई कर रही थी, कि उमेश पासवान सूचिका के घर में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। सूचिका द्वारा हल्ला–गुल्ला किये जाने पर उसके पति और बेटा जुट गये तथा उसके साथ मारपीट करने लगा। मारपीट के क्रम में उमेश पासवान की पत्नी उर्मिला देवी और उसका बड़ा बेटा पवन कुमार, चन्दन कुमार एवं विकाश कुमार और पुत्री मिन्तु कुमारी और उमेश पासवान के भाई विनोद पासवान और इनकी पत्नी सरिता देवी, विनोद पासवान का लड़का जितु कुमार और उसकी पूत्री तिजिया कुमारी सभी मिलकर लाठी–डंडा से और लोहे का रामी लेकर मुझे मेरे पति एवं पुत्र तथा मेरे यहॉ आये गेस्ट जो छुड़ा रहे थे तो उनलोगो को भी सभी मिलकर मारने लगे तथा उनके घर के महिला लोग ईंट पत्थर चलाने लगे जिसमें सूचिका लोग घायल हो गये। ईंट से सूचिका के भाई को ठुड्डी पर चोट लगा तथा खून बहने लगा तथा सूचिका के पति को लोहे के रॉड से पैर पर मारा जिससे अंदरूनी चोटे आई और चलने–फिरने में काफी दिक्कत हो रही है। और वे लोग बार–बार जान से मारने कि धमकी दे रहे है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। जैसा कि आरोप लगाया गया है, वैसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस मामले के सूचक द्वारा इस आवेदक को गलत इरादे से तथा इनकी जमीन और मकान हड़पने के इरादे से फंसाया गया है। इस वाद का वास्तविक कहानी यह है कि डिहरी थाना कांड संख्या 699 / 2024 का पलटा मुकदमा है। इस मामले की सूचक एक प्रभावशाली व्यक्ति है तथा डिहरी नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष है, इसलिए उसकी मिलीभगत से डिहरी पुलिस ने इस आवेदक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस आवेदक के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। सभी आरोपित धाराएं जमानतीय हैं, मात्र धारा 74 बी.एन.एस. को छोड़कर, जिसे केवल मामले को अजमानतीय बनाने के उद्देश्य से जोड़ा गया है। आवेदक धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए भी तैयार हैं। अतः आवेदक को अग्रिम जमातन पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

दूसरी तरफ विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया है तथा कथन किया गया है कि आवेदक अग्रिम जमानत पाने के हकदार नहीं हैं।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं कांड दैनिकी की छायाप्रति का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामला घर में घुसकर अश्लील हरकत करने एवं मारपीट कर जख्मी करने से

संबंधित है। कांड दैनिकी के कंडिका 8 में जख्मी सह सूचिका का पुनःबयान है, जिसने अपने बयान में कथन किया है कि उमेश पासवान घर में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकत किये साथ ही प्राथमिकी में नामित सभी अभियुक्तगण द्वारा मारपीट एवं गाली–गलौज करने का घटना का समर्थन करते हुए पूर्व के घर के बंटवारा एवं घर के विवाद को लेकर प्रायः गाली–गलौज करते रहते रहने की बात कहती है। कांड दैनिकी के कंडिका 9,10 एवं 19 में साक्षियों द्वारा अपने बयान मारपीट की घटना का समर्थन करते हुए कहा कि पूर्व की बंटवारा को लेकर मारपीट की घटना किया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 20 में भी साक्षी द्वारा मारपीट की घटना का समर्थन किया है। इस प्रकार इस आवेदक के संबंध में किसी भी साक्षी द्वारा मारपीट किये जाने की घटना को लेकर कोई कथन नहीं किया है। कांड दैनिकी के साथ संलग्न जख्मीयों क्रमशः 1. नवीन कुमार, 2. नागेन्द्र पासवान, 3. विष्णु राम, 4. मखौला देवी एवं 5. सुनिता देवी के जख्म प्रतिवेदन के अवलोकन से विदित होता है कि सभी जख्मीयों का जख्म साधारण प्रकृति का है तथा किसी भी जख्मी के शरीर के किसी भी मर्मस्थल पर कोई जख्म नहीं पाया गया है तथा सभी जख्मीयों का जख्म साधारण प्रकृति का है। आवेदक पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। कांड दैनिकी के कंडिका 40 में किसी भी आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने का कथन है। दोनों पक्षों ने एक–दूसरे पर पलटा मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। दोनों पक्षों में पूर्व के बंटवारा को लेकर विवाद है मामला साधारण मारपीट का है। मामले में अन्य सह–अभियुक्तों का अग्रिम जमानत इस न्यायालय से दिया गया है। मामले में अनुसंधान जारी है।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं घटना की प्रकृति को देखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है और आवेदक को निर्देश दिया जाता है आदेश की प्राप्ति तिथि के एक माह के अन्दर विचारण न्यायालय में उपस्थित हों और विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक को निर्धारित अवधि के अन्दर उपस्थित होने अथवा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की स्थिति मे आवेदक द्वारा मो0 10,000/– रूपये का बंध पत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभूओं को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने तथा दं.प्र.सं. की धारा 482 में दिये गये शर्तो का पालन करने पर अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)
ह0/–
(प्र0) जिला एवं अपर सत्र न्याया0–XII
रोहतास, सासाराम।